गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

NEW CRIMINAL LAWS

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

नए आपराधिक कानून

MYTH ✗

The new criminal laws threaten individual freedom and aim to establish a police state.

TRUTH ✓

- **Safeguards against misuse:** The new laws incorporate safeguards to prevent misuse of power, emphasising accountability and transparency in law enforcement actions, instilling confidence in the justice system.

- **Transparency and accountability:** The new provision for audio-video recording of search and seizure operations ensures transparency, fostering police accountability and safeguarding individual rights.

- **Accessibility and convenience:** Introduction of e-FIR provision enhances accessibility, allows individuals to lodge complaints from anywhere, thereby reducing barriers and ensuring timely legal remedies.

- **Preserving personal liberty:** The provisions requiring unnecessary arrests have been removed. The denial of bail only on the ground of extended police custody beyond first 15 days is not allowed.

मिथक ✗

नए आपराधिक कानून निजी स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं और एक पुलिस राज स्थापित करते हैं।

सच ✓

- **दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय**: नए कानूनों में शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है, कानून प्रवर्तन कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है, जिससे न्याय प्रणाली में विश्वास पैदा हुआ है।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही** : तलाशी और जब्ती अभियानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का नया प्रावधान पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, पुलिस की जवाबदेही को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करता है।

- **सुविधा और पहुंच** : ई-एफआईआर का प्रावधान पहुंच को बढ़ाता है, जिससे व्यक्तियों को कहीं से भी शिकायत दर्ज करने, बाधाओं को कम करने और समय पर कानूनी उपचार सुनिश्चित करने की अनुमति मिलती है।

- **Jurisdictional flexibility:** Provision of Zero FIR eliminates jurisdictional constraints, enabling individuals to file complaints at any police station, thereby expediting the legal process and improving citizen-friendliness.

- **Oversight mechanisms and accountability:** Strict oversight mechanisms, including mandatory recording of arrests and of evidence collection, act as preventive measures against potential police excesses, ensuring adherence to legal procedures and protection of citizens.

- **Protection of fundamental rights:** The laws prioritise the protection of fundamental rights, including the right to free speech and to assemble peacfully allaying concerns of arbitrary suppression of dissent.

- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चितिकरण**: अनावश्यक गिरफ्तारी पर रोक का प्रावधान। सिर्फ 15 दिन पुलिस हिरासत में रखे जाने की वजह से जमानत से इनकार पर रोक का प्रावधान।

- **क्षेत्राधिकार लचीलापन** : शून्य एफआईआर का प्रावधान क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं को समाप्त करता है, जिससे व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकता है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आती है और नागरिक-मित्रता में सुधार होता है।

- **निरीक्षण तंत्र और जवाबदेही** : सख्त निरीक्षण तंत्र, जिसमें गिरफ्तारी की अनिवार्य रिकॉर्डिंग और साक्ष्य एकत्र करना शामिल है। संभावित पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ निवारक उपायों के रूप में कार्य करते हैं, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

- **मौलिक अधिकारों की सुरक्षा** : कानून मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें स्वतंत्र रूप से भाषण देने और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार भी शामिल है, जो असहमति के मनमाने दमन की चिंताओं को दूर करता है।

MYTH ✗

The new criminal laws are mere repackaging of existing draconian provisions.

TRUTH ✓

The new laws enshrine the concept of justice embedded in our Constitution to improve the criminal justice system of the country. While the old laws were British legacies which were introduced by the colonial masters to enforce and strengthen their rule in India, the new laws are citizen centric, victim centric and sensitive to offences against women and children, introducing new offences, such as 'deshdroh', terrorist acts, mob lynchings, organised crimes, petty organised crimes, snatchings, etc.

- **Repeal of sedition:** The colonial legacy related to the sedition section in the IPC has been removed in the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023. The repeal of erstwhile Section 124A (sedition) is a positive step, addressing concerns of misuse against dissenters and critics of the Government.

Gender-neutral provisions

- The new laws incorporate gender-neutral language, promoting inclusivity and equality in the legal framework.

मिथक ✗

नए आपराधिक कानून, मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनपैर्केजिंग हैं।

सच ✓

नए कानून हमारे संविधान में अंतर्निहित न्याय की अवधारणा के अनुरुप हैं, जिनका उददेश्य देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाना है। पुराने कानून ब्रिटेन की विरासत थे, जिन्हें औपनिवेशिक शासकों ने भारत में अपने राज को कायम करने और मजबूत करने के लिए लागू किया था। नए कानून नागरिक केंद्रित, पीड़ित केंद्रित और महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति संवेदनशील हैं, जिनमें 'देशद्रोह', आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है।

- **राजद्रोह को निरस्त करना**: भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह की धारा से संबंधित औपनिवेशिक विरासत को भारतीय न्याय संहिता संहिता 2023 में हटा दिया गया है। पूर्ववर्ती धारा 124ए (देशद्रोह) को निरस्त करना एक सकारात्मक कदम है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है।

- **Mental health terminology:** Replacing the term 'insanity', 'lunatic' and 'idiot' with 'unsound mind' and 'mental retardation' with 'intellectual disability' in the legal language demonstrates a more modern and sensitive approach to mental health.

- **Time-bound prosecution for civil servants:** Providing time-bound approval for prosecuting erring civil servants ensures a more efficient legal process, fostering accountability and preventing undue delays in addressing allegations of misconduct.

- **Community service for criminal defamation:** Shifting from imprisonment to community service for criminal defamation aligns with modern approaches to justice, emphasising rehabilitation and societal contribution over punitive measures.

- **लिंग-तटस्थ प्रावधान**: नए कानूनी ढांचे में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग-तटस्थ भाषा को शामिल करता है।

- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली**: 'पागलपन', 'उन्मादी', 'मूर्ख', 'विक्षिप्त मानसिकता', और 'मंदबुद्धि' जैसे शब्दों को 'बौद्धिक विकलांगता' से प्रतिस्थापित करना कानूनी भाषा में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति आधुनिक और संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- **सिविल सेवकों के लिए समयबद्ध अभियोजन**: भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान करना प्रभावी कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यानी यह जवाबदेही को बढ़ावा देता है और कदाचार के आरोपों को संबोधित करने में अनुचित देरी को रोकता है।

- **आपराधिक मानहानि के लिए सामुदायिक सेवा**: आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण न्याय के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें दंडात्मक उपायों पर पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर दिया गया है।

MYTH ✗

The extension of police custody from 15 to 90 days in the new criminal laws is a shocking provision that will enable police torture.

TRUTH ✓

Section 187 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 lays down the procedure when investigation is not completed within 24-hours.

The period of police custody is restricted to 15 days like before. Under BNSS, police custody may be taken in parts or in whole within a period of 40/60 days out of the total period of 60/90 days as applicable.

मिथक ✗

नए आपराधिक कानूनों में पुलिस हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन करना पुलिस को यातना देने वाला एक चौंकाने वाला प्रावधान है।

सच ✓

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 ने 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित की है।

पुलिस हिरासत की अवधि पहले की तरह 15 दिन तक ही सीमित है। बीएनएसएस के तहत, लागू 60/90 दिनों की कुल अवधि में से 40/60 दिनों की अवधि के भीतर आंशिक या पूरी पुलिस हिरासत ली जा सकती है।

The court's discretion in granting police custody is retained as earlier.

Further, police custody beyond the first 15 days shall not be an impediment to grant bail to the accused, if he is otherwise eligible for bail.

पुलिस हिरासत देने में न्यायालय का विवेक पहले की तरह बरकरार रखा गया है।

इसके अलावा, अगर आरोपी जमानत का पात्र है तो पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत आरोपी के जमानत में बाधा नहीं बनेगी।

MYTH ✗

Sedition is gone, but appears as "Deshdroh" in Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023.

TRUTH ✓

The colonial legacy related to the sedition section in the IPC has been removed in the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023. The new laws enshrine the concept of justice embedded in our Constitution to improve the criminal justice system of the country. The old laws were British legacies which were introduced by the colonial masters to enforce and strengthen their colonial administration in India.

- **Clarity in definitions (BNS Section 152):** Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 brings clarity by explicitly defining "deshdroh" as actions endangering the "sovereignty, unity, and integrity of India." This replaces colonial-era language with terminologies more aligned with the democratic interests and identifies such acts as a crime against the country, not the Government.

मिथक ✗

राजद्रोह चला गया, लेकिन यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 'देशद्रोह' के रूप में दिखाई दिया।

सच ✓

भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह की धाराओं से संबंधित औपनिवेशिक विरासत को बीएनएस 2023 में हटा दिया गया है। नए कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए हमारे संविधान में अंतर्निहित न्याय की अवधारणा को स्थापित करते हैं। पुराने कानून ब्रिटिश विरासत के थे। इन्हें औपनिवेशिक शासकों द्वारा देश में प्रशासन को लागू करने और मजबूत करने के लिए लागू किया गया था।

- **परिभाषाओं में स्पष्टता (भारतीय न्याय संहिता, धारा 152)**: भारतीय न्याय संहिता 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता' को खतरे में डालने वाले कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके स्पष्टता लाता है। यह औपनिवेशिक युग की भाषा को स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों के साथ अधिक संरेखित शब्दों से प्रतिस्थापित करता है।

- **Expanding scope for comprehensive protection (BNS Section 152):** Unlike IPC Section 124A, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 Section 152 goes beyond criminalising expressions causing hatred towards the Government. It punishes acts such as armed rebellion, subversive activities, and separatist activities, thus providing a comprehensive approach to protect the nation's integrity.

- **Inclusion of democratic values:** Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 introduces the element of 'intent' in the definition of treason, allowing for a more nuanced understanding. This inclusion safeguards freedom of speech and expression by distinguishing between deliberate threats to the nation and genuine expressions of opinion.

- **व्यापक सुरक्षा के दायरे का विस्तार (भारतीय न्याय संहिता, धारा 152):** भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के विपरीत, भारतीय न्याय संहिता, की धारा 152 सरकार के प्रति नफरत पैदा करने वाली अभिव्यक्तियों को अपराधीकरण करने से परे है। इसमें देश की अखंडता की रक्षा पर खतरा पैदा करने वाले सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान है।

- **लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश:** भारतीय न्याय संहिता 2023 देशद्रोह की परिभाषा में 'इरादे' के तत्व का परिचय देता है। यानी इससे अधिक सूक्ष्म समझ की अनुमति मिलती है। यह समावेश राष्ट्र के लिए जानबूझकर किए गए खतरों और विचारों की वास्तविक अभिव्यक्ति के बीच अंतर करके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

MYTH ✗

Harsh punishment of 10 years of imprisonment with ₹10 lakh fine in hit-and-run cases under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)2023.

TRUTH ✓

To enhance road safety and justice for victims, the new laws introduces intensified penalties to curb the rising incidents of hit-and-run accidents under section 106(1), 106(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023.

The law provides gradation of punishment in hit and run cases. The amount of fine being ₹10 lakh is completely false. The enhanced punishment of 10 years is for those who escapes without reporting the hit-and-run case. The offence is still bailable, triable by the Magistrate Court under section 106(1).

The Ministry of Home Affairs, Government of India, has taken note of the concerns raised by truckers regarding the provision of 10 years imprisonment and fines under Section 106 (2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023.

Following detailed discussions with representatives of the All India Motor Transport Congress, it has been clarified that these new laws and provisions have not been implemented yet. The decision to invoke Section 106(2) will only be taken after consultation with the All India Motor Transport Congress.

मिथक ✗

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट–एंड–रन मामलों में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान

सच ✓

पीड़ितों को न्याय दिलाने और सड़क सुरक्षा के लिए, नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 106(1), 106(2) के तहत हिट–एंड–रन दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान।

कानून हिट एंड रन मामलों में क्रमबद्ध तरीके से सजा का प्रावधान करता है। जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये होना पूरी तरह से गलत है। 10 साल की बढ़ी हुई सजा उन लोगों के लिए है जो हिट–एंड–रन मामले की रिपोर्ट किए बिना भाग जाते हैं। अपराध अभी भी जमानती है, धारा 106(1) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 (2) के तहत 10 साल की कैद और जुमार्ने के प्रावधान के संबंध में ट्रक ड्राइवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं किए गए हैं। धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।